

डिकी व मुकदमें इक्टदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा
अज इजलास :- देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं- - 47/22

1. चमेली पुत्री ल्होरे पत्नि भीकमसिंह जाति गडरिया निवासी रोहता पंचगाई आगरा तहसील आगरा जिला
आगरा उ0प्र0

.....वादीया

बनाम

1. भारत पुत्र गोपाली
2. राकेश कुमार पुत्र गोपाली
3. हरिमोहन पुत्र गोपाली
4. तुलसीराम पुत्र गोपाली
5. रामा पत्नि गोपाली
6. गुडडी पुत्री गोपाली
7. कैलाशचन्द
8. मायाराम पुत्रगण नारायनसिंह
9. विजय
10. राजेश
11. नेमीचन्द
12. मीना पुत्री नारायनसिंह
13. अनीता
14. ऊषा
15. कुसमा पुत्रीयान काशीराम
16. पूनम
17. मन्जू
18. रजनी
19. सरोज
20. आदमसिंह
21. ईश्वरीप्रसाद पुत्रगण रामदेई जाति गडरिया निवासी विरजापुरा तहसील मनियाँ जिला धौलपुर
22. मुन्नालाल
23. भवूती
24. जानकी प्रसाद
25. सुभाष
26. भूरीसिंह पुत्रगण रामवेटी जाति गडरिया निवासीगण जखोदा तहसील सदर आगरा जिला
27. शिशुपाल आगस उ0प्र0
28. लक्ष्मीनारायन
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर

जातिगण गडरिया निवासीगण नागर तहसील राजाखेडा

.....प्रतिवादीगण

दावा:- स्वत्व घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज मय स्थायी निषेधाज्ञा।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा



उपरिस्थिति :-

1. विद्वान अधिवक्ता :- 1. श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव वादीगण ।
2. श्री पंकज जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 7


मूल वाद सं. 47/22

दिनांक :- 14.09.2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुवरु मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री विजय प्रकाश श्रीवास्ताव अधिवक्ता वादीगण एवं श्री पंकज जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 7 पेश होकर हुक्म दिया जाकर दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 396 रकवा 0.3920 है0, 405 रकवा 0.4173 है0, 409 रकवा 0.4137 है0, 413 रकवा 0.3035 है0, 524 रकवा 0.1518 है0, 68 रकवा 0.3920 है0, 69 रकवा 0.2909 है0, 791 रकवा 0.3541 है0, 952 रकवा 0.2782 है0, 958 रकवा 0.4047 है0, 959 रकवा 0.2023 है0, 99 रकवा 0.3288 है0 कुल किता 12 कुल रकवा 3.9329 है0 स्थित ग्राम नागर तहसील राजाखेडा पर वादिया को 1/6 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 7 लगा0 12 एवं 13 लगा0 19 पृथक-पृथक 1/6 भाग के खातेदार एवं प्रतिवादीगण संख्या 20 लगा0 23 व 24 लगा0 28 पृथक-पृथक 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए इन्द्राज दुरुरस्ती के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 19 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादिया के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी किया गया।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.09.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई ।




(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी
उपखण्डाधिकारी राजाखेडा